<u>दां०प्र०क्र० 1321/2022</u>
<u>शासन विरूद्ध बृजमोहन केशकर</u>
<u>संस्थित तिथि 19/12/2022</u>
<u>CNR NO. CGJC120015362022</u>

Index

क्रमांक	विवरण	पेज नं.
1	निर्णय का शीर्षक	2
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	2
3	आरोप	6
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन कहानी	5–6
6	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	–
7	अवधारणीय प्रश्न	7
8	कारण और निष्कर्ष	8–14
9	सजा	–
10	निरोध की अवधि एवं सेट–ऑफ	–
11	संपत्ति का व्ययन	14–15
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	–
13	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	–
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	–
15	निर्णय की प्रति	–

<table>
<tr><td colspan="3">Form — D</td></tr>
<tr><td colspan="3">न्यायालय — श्रीमती शिवानी सिंह ,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अकलतरा जिला जांजगीर–चाम्पा (छ0ग0)</td></tr>
<tr><td colspan="3">!! निर्णय !!
(आज दिनांक 22.05.2025 को घोषित)
दांडिक प्रकरण क्र.–1321/2022
(थाना अकलतरा का अपराध क्रमांक 465/2022)
संस्थित दिनांक– 19/12/2022</td></tr>
<tr><td>अभियोजन</td><td>–</td><td>आरक्षी केन्द्र– अकलतरा</td></tr>
<tr><td>राज्य की ओर से</td><td>–</td><td>सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री तुषार मिश्रा (प्रशिक्षु)</td></tr>
<tr><td colspan="3">––00 विरूद्ध 00––</td></tr>
<tr><td>अभियुक्त</td><td>–</td><td>बृजमोहन केशकर पिता लक्ष्मण केशकर,
उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पचारी , थाना अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग०</td></tr>
<tr><td>अभियुक्त की ओर से</td><td>–</td><td>अधिवक्ता श्री हेमलाल पाटले।</td></tr>
</table>

दां०प्र०क्र० 1321/2022
शासन विरूद्ध बृजमोहन केशकर
संस्थित तिथि 19/12/2022
CNR NO. CGJC120015362022

Form – E		
घटना दिनांक	–	08.10.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	–	08.10.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	–	19.12.2022
आरोप विरचित दिनांक	–	19.12.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथी	–	17.03.2023
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	–	–
निर्णय दिनांक	–	22.05.2025
दंडित करने की तिथी यदि कोई हो	–	कोई नहीं।

!! अभियुक्त का विवरण !!

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति दोषसिद्धि	दी गई सजा	विचारण दौरान अभिरक्षा में व्यतित अवधि धारा 428 द.प्र.सं. हेतु
1.	बृजमोहन केशकर	08.10.22	08.10.22	छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915, की धारा 34(1)(क)	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

दां०प्र०क्र० 1321/2022
शासन विरूद्ध बृजमोहन केशकर
संस्थित तिथि 19/12/2022
CNR NO. CGJC120015362022

SHIVANI SINGH
Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2025.05.22 16:39:54 +0530

न्यायालय— श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी अकलतरा, जिला—जांजगीर चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र अकलतरा
जिला—जांजगीर चांपा (छ.ग.) ....अभियोजन

विरुद्ध

बृजमोहन केशकर पिता लक्ष्मण केशकर,
उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पचारी , थाना अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ०ग० ....अभियुक्त

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 22.05.2025 को घोषित)

---

(01) अभियुक्त बृजमोहन केशकर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी

अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.10.2022 को समय 14.10 बजे, स्थान ग्राम पचरी, अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा छ०ग० थाना अकलतरा के क्षेत्रांतर्गत में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से पन्नी पाऊच में रखा करीबन 2 लीटर कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में विक्रय हेतु रखा था।

(02) प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.2022 को मुखबीर से सूचना के आधार पर हमराह सहायक उप निरीक्षक अनिल तिवारी गवाह बद्री चौहान , संतोष चौहान को साथ लेकर मुखबीर सूचना एवं तस्दीक कार्यवाही हेतु ग्राम पचरी साजापाली की ओर रवाना हुआ था तभी एक व्यक्ति ग्राम पचरी की ओर से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब ग्राम साजापाली की ओर आने की सूचना पर नहर किनारे

इंतजार करते बैठा था और दसी समय पचरी की ओर से पैदल चलते एक थैला रखा था जिसमें पन्नी पाऊच के अंदर रखी हुई करीबन 2 लीटर कच्ची महुआ शराब अभियुक्त बृजमोहन केशकर के कब्जे से जप्त कर उसे मौके पर दिनांक 08.10.2022 को गिरफ्तार किया गया । जप्तशुदा शराब का मुलाहिजा आबकारी वृत्त अकलतरा से कराया गया । प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त बृजमोहन केशकर के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है ।

(04) अभियुक्त बृजमोहन केशकर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 34(1)(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,1915 बनना परिलक्षित होने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध विवरण पृथक से विरचित कर उसे अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त बृजमोहन केशकर का अभिवाक् उसी के शब्दों में अंकित किया गया।

(05) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अभियुक्त बृजमोहन केशकर का परीक्षण किये जाने पर उसने बचाव में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया जाना व्यक्त किया।

(06) **इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख रूप से अवधारणीय प्रश्न यह है कि:-**

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.10.2022 को समय 14.10 बजे, स्थान ग्राम पचरी, अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा छ०ग० थाना अकलतरा के क्षेत्रांतर्गत में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से पन्नी पाऊच में रखा करीबन 2 लीटर कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में विक्रय हेतु रखा था ?

(07) इस मामले में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण

संतोष चौहान (अ0सा0–1), आबकारी उप निरीक्षक गौरव दुबे (अ०सा० 2), बद्री चौहान (अ0सा0–3) का साक्ष्य पेश किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों कों प्रदर्शांकित कराया गया है–

क्रमांक	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श संख्या**
1	साक्षी रामाधीन को दिया गया धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस	**प्र0पी0–01**
2	जप्ती पत्रक	**प्र0पी0–02**
3	गिरफ्तारी पत्रक	**प्र0पी0–03**
4	नक्शा	**प्र0पी0–04**
5	आबकारी वृत्त अकलतरा से प्राप्त रिपोर्ट	**प्र0पी0–05**

::– विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष –::

(08) प्रकरण में प्रश्न यह है कि क्या घटना दिनांक, समय व स्थान

पर अभियुक्त बृजमोहन केशकर ने 10 नग पन्नी पाऊच में भरा हुआ प्रत्येक पाऊच में 200-200 एम०एल० कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 2 लीटर कीमती ₹240/-रूपये को अवैध रूप से अपने कब्जे में विक्रय हेतु रखा था।

(09) अभियोजन साक्षी आबकारी उप निरीक्षक, गौरव दुबे (अ0सा0-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी पदस्थापना के दौरान दिनांक 10.10.2022 को थाना अकलतरा के अप०क्र० 465/2022 अंतर्गत धारा 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 में एक थैले के अंदर रखे 10 नग पन्नी पाऊच में भरे 200-200 एम०एल० तरल द्रव्य को सीलबंद अवस्था में उसके समक्ष पेश किया गया था एवं आरक्षक के सामने ही उक्त साक्षी के द्वारा सील तोड़ कर उसमें भरे हुये तरल पदार्थ की जांच की गई थी तथा उक्त साक्षी ने जांच करने पर पाया था कि तरल द्रव्य मटमैला अल्प पारदर्शी रंग का

था, सूंघने में कच्ची महुआ शराब की तीक्ष्ण एल्कोहलिक गंध, चखने पर तीखा कड़वा, चरपरा स्वाद था एवं उक्त साक्षी द्वारा द्रव्य में नीला लिटमस पेपर डालने पर पेपर का रंग हल्का गुलाबी रंग में परिवर्तित होना पाया गया।

(10) उक्त अभियोजन साक्षी (अ0सा0–2) ने तरल पदार्थ की तेजी थर्मामीटर व हाईड्रोमीटर एवं साईक्स टेबल की मदद से मापने पर तेजी 62 डिग्री यू०पी० होना पायी तथा जांच पर पाए गये उपरोक्त लक्षण एवं उक्त साक्षी के विभागीय प्रशिक्षण के आधार पर व शासकीय सेवक के अनुभव के आधार पर उसने जप्तशुदा द्रव्य को हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब होना पाया। उक्त साक्षी के द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट प्र०पी० 5 है जिसके अ से अ भाग पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने जांच उपरांत उपस्थित आरक्षक को जप्तशुदा तरल पदार्थ को सीलबंद कर मय रिपोर्ट सुपुर्दनामा पर प्रदान किये जाने का कथन

किया गया है।

(11) **प्रकरण में जप्ती कार्यवाही के अभियोजन साक्षीगण रामाधीन (अ०सा० 1) एवं बद्रीप्रसाद चौहान (अ 0 सा0–3)** ने अपने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त को नहीं पहचानना व्यक्त करते हुए कथन किया है कि उनके सामने पुलिस ने किसी प्रकार की मदिरा की जप्ती नहीं की है । उक्त दोनों साक्षीगण ने धारा 160 दं०प्र०सं० की नोटिस प्र०पी० 1, जप्ती पत्रक प्र०पी० 2, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 3, नजरी नक्शा प्र०पी० 4 के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने उक्त दस्तावेजों में साक्ष्य दिनांक से लगभग 1 वर्ष पूर्व थाना अकलतरा में पुलिस वालों के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना बताया है, इसके अलावा उक्त दोनों साक्षीगण को कोई जानकारी नहीं है । उक्त दोनों साक्षीगण से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस तथ्य से स्पष्ट इंकार

किया है कि दिनांक 08.10.2022 को उनके समक्ष पुलिस ने अभियुक्त बृजमोहन केशकर के आधिपत्य से एक थैले में रखा 10 नग पन्नी पाऊच में भरा 200−200/−एम०एल० कुल दो लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया था तथा प्र०पी० 1 से 4 के दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराते समय पुलिस ने जप्तशुदा कच्ची महुआ शराब उक्त दोनों साक्षीगण को दिखाई थी । उक्त दोनों साक्षीगण ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उक्त साक्षियों को प्र०पी० 1 से 4 तक के दस्तावेज में हस्ताक्षर कराते समय पुलिस ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त से जप्ती पत्रक प्र०पी० 2 में उल्लेखित कच्ची महुआ शराब को जप्त किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि जब उन्होंने प्र०पी० 1 से 4 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे उस समय अभियुक्त वहां पर उपस्थित था।

(12) प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में परीक्षित जप्ती कार्यवाही के साक्षी संतोष

(अ०सा० 1) एवं साक्षी बद्रीप्रसाद चौहान (अ0सा0–2) ने अभियोजन कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हुए अभियुक्त बृजमोहन केशकर से उसके समक्ष शराब की जप्ती किये जाने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया है ।

(13) प्रकरण में अभियोजन के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त बृजमोहन केशकर से जप्ती प्रमाणित नहीं होती है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धात है कि अभियोजन पक्ष को ही अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, परन्तु अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त प्रकरण को अभियुक्त बृजमोहन केशकर के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्त बृजमोहन केशकर के विरूद्ध संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि उसने दिनांक 08.10.2022 को समय 14.10 बजे, स्थान ग्राम पचरी थाना अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा छ०ग० क्षेत्रांतर्गत में बिना किसी वैध

अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से पन्नी पाऊच में रखा करीबन 2 लीटर कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में विक्रय हेतु रखा था। अतः **विचारणीय बिन्दु क्रं. 01** का निष्कर्ष **"प्रमाणित नही"** में दिया जाता है ।

(14) अतः **अभियुक्त बृजमोहन केशकर** को संदेह का लाभ देते हुए **धारा 34(1)(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,** 1915 के अपराध से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

(15) अभियुक्त बृजमोहन केशकर की ओर इस प्रकरण में पेश जमानत मुचलके धारा 437–क, दं.प्र.सं. के परिपालन में निर्णय दिनांक से छः माह तक प्रभावी रहेगा।

(16) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 10 नग पन्नी पाऊच प्रत्येक पाऊच में 200–200 एम०एल० भरी कच्ची महुआ शराब, कुल मात्रा 2 लीटर को मूल्यहीन संपत्ति होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे अथवा अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के

<u>दां०प्र०क्र० 1321/2022</u>
<u>शासन विरूद्ध बृजमोहन केशकर</u>
<u>संस्थित तिथि 19/12/2022</u>
<u>CNR NO. CGJC120015362022</u>

निर्देशानुसार उपरोक्त जप्त संपत्ति का व्ययन किया जावे।

स्थान – अकलतरा ,जिला जांजगीर चांपा(छ.ग.)

दिनांक – 22/05/2025

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

SHIVANI SINGH
Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2025.05.22 16:40:01 +0530

(श्रीमती शिवानी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अकलतरा ,जिला जांजगीर चांपा(छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

SHIVANI SINGH
Digitally signed by SHIVANI SINGH
Date: 2025.05.22 16:40:05 +0530

(श्रीमती शिवानी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अकलतरा,जिला जांजगीर चांपा(छ.ग.)